FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/03/2025 19:41 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/2020 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2021

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 19:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 018 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 19:41 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 60 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): बीज वितरण निगम उमरी कुरुक्षेत्,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक प्रवीन कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1974 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**भ0नि0ब्यूरो उप केन्द्र, कुरुक्षेत्रKURUKSHETRA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**भ0नि0ब्यूरो उप केन्द्र, कुरुक्षेत्रKURUKSHETRA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9996711100

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नरेश कुमार सैल्समैन			1. बीबीपुर,शाहबाद, SHAHABAD,KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा में,
थाना प्रबन्धक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,
निवेदन है कि जांच क्रमांक 03 दिनांक 21.06.2024 कुरुक्षेत्र माननीय पंजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा CWP No. 5898/2022 में जारी किये गये आदेश दिनांक 09.05.2024 अनुसार कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक क्रमांक 12135/आई-1/भ्र.नि.ब्यु.(ह) दिनांक 24.06.2024 के अनुसार दर्ज होकर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 673 दिनाक 26.06.2024 अनुसार पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमे आरोप था कि वर्ष 2020 के दौरान हरियाणा राज्य के किसानों द्वारा हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) से गेहूं का बीज खरीद किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) जिला कुरुक्षेत्र के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में अंकित गेहूं का बीज खरीद करनें वाले किसानों के नामों के सामनें किसान द्वारा खरीद किये गये असल गेहूं की थैलियों की मात्रा के अतिरिक्त सम्बंधित किसान द्वारा ज्यादा मात्रा में गेहूं के बीज की थैली खरीद करनें बारे झूठा रिकार्ड तैयार करके, गेहूं बीज में दी जानें वाली सब्सिडी में गबन करके सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

आरोप की पडताल मन निरीक्षक द्वारा की गई, पडताल पर पाया गया, कि कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी कुरुक्षेत्र के पत्र क्रंमाक क्षे.प्र उ./ह.बी.वि.धनि./उत्पादन/फा/24/928 दिनांक 24.10.2024 के अनुसार वर्ष 2020-2021मे रबी सीजन मे जिला कुरुक्षेत्र के छह बीज बिक्री केन्द्रो पर कुल 7551 किसानो को 21594.40 क्विटल गेहू बीज वितरण किया जाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत 50746840/- रुपये (2350/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब) बनती थी। यह पूरी राशि 50746840/- रुपये जिला कुरुक्षेत्र के छह बीज बिक्री केन्द्रो के सैल्जमैनो के द्वारा हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड उमरी कुरुक्षेत्र के सरकारी खाते मे जमा कराई जानी पाई गई और कार्यालय उप कृषि निदेशक, कृषि एवम किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र के द्वारा भी कुल 21594.40 क्विटल गेहु बीज पर दी जाने वाली कुल 2,15,94,400/- रुपये की सब्सिडी राशि हरियाणा बीज विकास निगम उमरी, कुरुक्षेत्र के खाते मे जमा करानी पाई गई है।

दौराने पडताल पाया गया, कि जिला कुरुक्षेत्र के छह बीज बिक्री केन्द्रो के कुल 7551 किसान, जिन्होने रबि सीजन वर्ष 2020 मे सरकार द्वारा निर्धारित मुल्य पर अनुदान पर गेहू का बीज लिया था, उनमे से कुल 782 किसान तकरीबन 10 प्रतिशत किसानो को शामिल जांच करके कथन अकिंत किये गये, बाकि 90 प्रतिशत किसानो को इतने कम समय मे शामिल जाच नही किया जा सका। शामिल किये गये 782 किसानो मे से शाहबाद बीज बिक्री केन्द्र के 10 किसानो के कथनो से पाया गया, कि नरेश कुमार सैल्जमैन के द्वारा शाहबाद बीज बिक्री केन्द्र के सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3115 के क्रमांक 123 पर लाभार्थी किसान बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मनी राम वासी गांव धन्तौरी, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने गलत 06 बैग गेहू बीज का इन्द्राज करके व राशि पर कटिंग करके ओवरराईटिग करनी पाई गई, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3107 के क्रमांक 50 पर लाभार्थी किसान राकेश कुमार पुत्र श्री रणजीत सिह वासी गांव सुनारिया, तहसील बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 10 बैग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3112 के क्रमांक 106 पर लाभार्थी किसान बन्सी लाल पुत्र श्री प्रेमचन्द वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 03 बैग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3168 के क्रमांक 674 पर लाभार्थी किसान जगदीप सिह पुत्र श्री जोरा सिह वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 06 बैग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3122 के क्रमांक 197 पर लाभार्थी किसान कुलदीप पुत्र श्री श्याम लाल वासी गांव यारी, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के

सामने 24 बैग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 16614 के क्रमांक 1097 पर लाभार्थी किसान अजय सिंह पुत्र रामप्रकाश पुत्र श्री चुहड सिंह वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 07 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3170 के क्रमांक 694 पर लाभार्थी किसान मुल्क राज पुत्र श्री मनफुल चन्द वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 14 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया तथा किसान मुल्खराज ने अपने कथन में अगूठा लगया है परन्तु सैल रजिस्टर में उस किसान के नाम के सामने हिन्दी मे हस्ताक्षर होने पाये गये, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 16610 के क्रमांक 1060 पर लाभार्थी किसान गुरलाल पुत्र श्री बलवन्त वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 04 बैग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया और सैल रजिस्टर में 08 बैंग इन्द्राज करके 07 बैंग गेहू बीज की राशि 6580/- रुपये इन्द्राज करनी पाई गई, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3134 के क्रमांक 212 पर लाभार्थी किसान जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री हरभजन वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 02 बैग गेहू बीज अधिक का इन्द्राज करना पाया गया, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3192 के क्रमांक 882 पर लाभार्थी किसान गुरमेल सिंह पुत्र श्री साधुराम वासी गांव यारा, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 09 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया और किसान के कथन मे किसान ने अगूठा लगाया हुआ है और सैल रजिस्टर मे गुरमेल सिंह के हस्ताक्षर अग्रेजी मे किये जाने पाये गये है।

पडताल पर यह भी पाया गया कि शामिल किये गये 782 किसानो मे से लाडवा बीज बिक्री केन्द्र के 03 किसानो के कथन से पाया गया है कि विनय कुमार सैल्जमैन के द्वारा लाडवा बीज बिक्री केन्द्र के सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 25055 के क्रमांक 567 पर लाभार्थी किसान सतपाल पुत्र श्री छित्तर सिंह वासी गांव न्योरी, तहसील लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 04 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया और सैल रजिस्टर में आधार कार्ड नम्बर भी गलत अकिंत करना पाया गया, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 25020 के क्रमांक 196 पर लाभार्थी किसान संजीव कुमार पुत्र श्री सुखलाल वासी गांव मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 02 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 24430 के क्रमांक 1367 पर लाभार्थी किसान साहब सिंह पुत्र श्री रुडाराम वासी गांव मेहरा, तहसील लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 05 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया ।

पडताल पर यह भी पाया गया कि शामिल किये गये 782 किसानो मे से उमरी बीज बिक्री केन्द्र के 05 किसानो के कथन से पाया गया है कि विरेन्द्र कुमार सैल्जमैन के द्वारा उमरी बीज बिक्री केन्द्र के सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 23385 के क्रमांक 672 पर लाभार्थी किसान रमेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह वासी गांव बीड मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 03 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया और सैल रजिस्टर मे सैल्जमैन के द्वारा 05 बैंग गेहू बीज का इन्द्राज करना पाया गया तथा रशीद नम्बर 1558 पर 03 बैग गेहू बीज की ही रसीद काटनी पाई गई, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 23319 के क्रमांक 145 पर लाभार्थी किसान सुरजीत सिंह पुत्र श्री रुप चन्द सिहं वासी गांव बीड मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 05 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 23333 के क्रमांक 253 पर लाभार्थी किसान सुरजीत सिंह पुत्र श्री चनन सिंह वासी गांव बीड मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 03 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 23455 के क्रमांक 1231 पर लाभार्थी किसान अकित कल्याण पुत्र श्री सुरेन्द्र वासी गांव मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 02 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया और सैल रजिस्टर मे सैल्जमैन के द्वारा 11 बैंग गेहू बीज का इन्द्राज करना पाया गया तथा रशीद नम्बर 1373 पर 07 बैग गेहू बीज की रसीद काटनी पाई गई, सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 23444 के क्रमांक 1142 पर लाभार्थी किसान जगदीश चन्द पुत्र श्री राम सवरूप वासी गांव मथाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 02 बैंग गेहू बीज अधिक इन्द्राज करना पाया गया है।

दौराने पडताल उपरोक्त के मध्यनजर व प्रथम दृष्टया एवम अभी तक की जांच से पाया गया कि नरेश कुमार, सैलजमैन कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम उमरी (कुरुक्षेत्र), बीज बिक्री केन्द्र शाहबाद मारकण्डा पुत्र श्री बलजीत सिंह वासी गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के द्वारा शाहबाद बीज बिक्री केन्द्र के सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3115 के क्रमांक 123 पर किसान बलविन्द्र सिहं पुत्र श्री मनी राम वासी धन्तौरी जिला कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 06 बैग गेहू बीज का फर्जी इन्द्राज करके व राशि पर कटिंग करके ओवर राईटिंग करनी पाई गई तथा शाहबाद सैल रजिस्टर के सिरियल नम्बर 3122 के क्रमांक 197 पर किसान कुलदीप पुत्र श्री श्याम लाल निवासी यारी जिला

कुरुक्षेत्र के नाम के सामने 24 बैग गेहू बीज का फर्जी इन्द्राज करके, कुल 30 बैग गेहू बीज अन्य किसी व्यक्तियो को ज्यादा भाव मे बेचकर सरकार से 12.00 क्विटल गेहू बीज की अनुदान राशि प्रति क्विटल 1000/- रुपये के हिसाब से कुल 12000/- रुपये का अपने आप को अनुचित लाभ पहुचाने का अपराध किया है। अतः नरेश कुमार, सैलजमैन कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम उमरी (कुरुक्षेत्र), बीज बिक्री केन्द्र शाहबाद मारकण्डा पुत्र श्री बलजीत सिंह वासी गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित अपराध धारा 420,467,468,471,218,120B IPC व 13(1)A read with 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने सुझाव देकर और अनुसन्धान के दौरान बीज बिक्री केन्द्र लाडवा, उमरी, शाहबाद, ईस्माईलाबाद, पेहवा, बाबैन के बकाया किसानो को भी शामिल अनुसन्धान करने व अनुसन्धान के दौरान किसी अन्य की सलिप्तता पाई जाने पर, नियमानुसार कार्यवाही करने का सुझाव तथा इसके अतिरिक्त हरियाणा बीज निगम मुख्यालय सैक्टर-2 पंचकूला द्वारा भी वर्ष 2020-2021 मे जिला कुरुक्षेत्र के बीज वितरण केन्द्रो द्वारा किसानो को सब्सिडी पर वितरण किये गये गेहू के बीज के आकडो की सपरीक्षा (Audit) करवाये जाने का सुझाव देकर, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के मैंमो क्रमांक 3097/I-1/ACB(H) दिनांक 21.02.2025 अनुसार अन्तिम रिपोर्ट मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पृष्ठाकन क्रमांक 66/46/2024-6 VII दिनांक 04.03.2025, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला के पृष्ठाकन क्रमांक 3677/I-1/ACB(H) dated 05.03.2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के क्रमांक 1106-11/ACB/GGM दिनांक 05.03.2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के डायरी क्रमांक 442 दिनांक 05.03.2025 अनुसार नरेश कुमार, सैलजमैन कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम उमरी (कुरुक्षेत्र), बीज बिक्री केन्द्र शाहबाद मारकण्डा पुत्र श्री बलजीत सिंह वासी गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित धाराधीन 409,419,420,467,471 IPC 13(1)A read with 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अंकित किए जाने के आदेश प्राप्त हुए है। नरेश कुमार, सैलजमैन कार्यालय हरियाणा बीज विकास निगम उमरी (कुरुक्षेत्र), बीज बिक्री केन्द्र शाहबाद मारकण्डा पुत्र श्री बलजीत सिंह वासी गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र के विरुध धाराधीन 409,419,420,467,471 IPC 13(1)A read with 13(2) PC Act 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रबन्धक थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला को प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट कुरुक्षेत्र व उच्च अधिकारियो की सेवा मे भिजवाई जाये। उच्चाधिकारियो के आदेशानुसार अभियोग अंकित करके नकल मिशल मय असल लेख अगामी अनुसन्धान के लिए अन्य सक्षम अधिकारी के पास भिजवाई जाये।

अज- थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

-sd- प्रवीन कुमार

(प्रवीण कुमार)

निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र ।

At. 7.20 pm.

अज थाना - इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक प्रवीन कुमार, भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कुरुक्षेत्र भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला बर खिलाफ नरेश कुमार सैलजमैन कार्यालय हरियाणा, बीज विकास निगम उमरी (कुरुक्षेत्र), बीज बिक्री केन्द्र शाहबाद मारकंडा पुत्र श्री बलजीत सिंह वासी गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र बाजूर्म 409,419,420,467,471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)A r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 11 दिनांक 13.03.2025 धाराधीन 409,419,420,467,471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)A r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कुरुक्षेत्र की सेवा मे बजरीया ई-मेल व सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। हस्ब आदेश अफसरानबाला नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू हवाले निरीक्षक देवेन्द्र भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला किया गया। यह अभियोग निरीक्षक बिमला देवी निरीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही** : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** DEVENDER **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PSI **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s) (आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)